सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पूनमसिंह बनाम नरपतसिंह

किस्म मुकदमा 225 आरटीए नम्बर 71 / 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.17	अभिभाषक अपीलांट श्री सीताराम बिश्नोई व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु अभिभाषक रेस्पोडेन्ट समय चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19–12–2017 को पेश हो।	
19.12.17	अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26–12–2017 को पेश हो।	
26.12.17	अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उपस्थिति। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही कूदसू के पुराने खसरा नम्बर 109 तादादी 38 बीघा 14 बिस्वा स्थित है, जिसके नये खसरा नम्बर 138 तादादी 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 139 तादादी 9.39 हेक्टर कुल तादादी 9.79 हेक्टर कायम हुए। जो राजस्व रिकार्ड में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काफी लम्बे समय से लूणकरनसर निवास करता है तथा अपना हिस्सा छोड़ रखा है। इस कारण अपीलांट अरसे दराज से वादगत् भूमि का बतौर खातेदारी काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का वादगत् आराजी से कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर मौके व पुराने नक्शें के विपरीत जाकर नये नक्शे के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी करने को तत्पर थे इसलिए अपीलांट ने पुराने नक्शे के आधार पर धोषण करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया तथा साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना प. प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर जवाब में काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में विधि विरूद्व	

वादगत् भूमि से कोई सबध नहीं है। नाही आराजी जैर पर कभी श्मसान भूमि रही है। राजस्व रिकार्ड में संवत् 2010 से अपीलांट व अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी भूमि दर्ज चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि को समाज विशेष के लिए श्मसान भूमि के रूप में उपयोग लिये जाने का लाईसेंस प्रदान किया है जिसका अधिकार अदालत मातहत को कतई नहीं था। किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि को श्मसान के लिए उपयोग हेतु लाईसेंस नहीं दिया जा सकता है। यदि समाज विशेष के पास श्मसान भूमि का अभाव है तो आराजीराज भूमि में से आवंटन किया जा सकता है। ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अदालत मातहत में आराजी जैर अपील को श्मसान घोषित करने हेतु कोई दावा किया था। ऐसी स्थिति में दावे के अभावा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का आराजी जैर अपील में कोई हक व स्वामित्व नहीं है ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को किसी समाज विशेष ने प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का वादगत् आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नहीं बनता है। नाही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को कोई अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अपीलांट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अतः कानूनन रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट की अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाकर आदेश दिये जावे कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी ना करें ना ही मेघवाल समाज व अन्य समाज मिलकर अपीलांट की भूमि को श्मसान भूमि के रूप में उपयोग लेवें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की बाड़ा भूमि ग्राम कूदसू से हियांदेसर जाने वाली ग्रेवल सड़क के दक्षिण पूर्व में आबादी स्थित है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 का जायद अज 30 वर्षो से बिना किसी विध्न बाधा के कब्जे काश्त में चला आ रहा है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पशु धन रखने, गोबर थापने, घास फूस डालने के उपयोग में ले रहे है तथा अपनी बाड़ा भूमि के चारों तरफ तारबन्दी कर रखी है तथा मकान निर्माण हेतु सामग्री पत्थर व बजरी भी डाल रखी है। बाड़ा भूमि से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है ना ही प्रार्थी इस भूमि का कोई खातेदार है ना

उत्तरी तरफ साढ़े तीन बीघा भूमि पर सैकड़ों वर्षो से मेघवाल समाज का श्मसान बना हुआ है। जहॉ मेघवाल समाज के मरने वाले लोगों को दफनाया जाता है तथा मौके पर आज भी मृत लोगों के अवशेष है। शेष भूमि अपीलांट के पिता का कब्जा काश्त होने के आधार पर अपीलांट के पिता को आवंटित हुई मगर तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से खसरा नम्बर 109 की पूरी भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज कर दी गई जबकि कानूनन 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि मेघवाल समाज के श्मसान के लिए तथा शेष भूमि अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया गया है कि खसरा नम्बर 109 के पूर्वी उत्तर की तरफ 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि मेघवाल समाज की श्मसान भूमि होना साबित है। अदालत मातहत द्वारा सभी स्थितियों व प्रस्तुत दस्तावेजों व बयानों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

1. प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27–10–2017 को वादगत् भूमि पुराने खसरा नम्बर 109 तादादी 38 बीघा 14 बिस्वा वाके रोही कूदसू में से पूर्वी उत्तरी तरफ की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर मेघवाल समाज की श्मसान भूमि के रूप में उपयोग में ली जा रही है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को खसरा नम्बर 139 रकबा 9.29 हेक्टर में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो वर्तमान में श्मसान भूमि के रूप में उपयोग में ली जा रही है को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि मेघवाल समाज की श्मसान भूमि पर मेघवाल समाज के शवों को दफनानें में बाधा उत्पन्न न करें।

2. अदालत मातहत के आदेश के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार से फर्द मौका बनवाई गई थी। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वादगत् भूमि में से कुछ हिस्सा मेघवाल समाज की श्मसान भूमि के रूप में काम में ली जा रही है तथा पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा भी मौके का निरिक्षण किया गया। जिसमें विवादित भूमि पर शव दफनाये

प्रकार की काश्त नहीं पाई गई।

3. अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह कि अंकन किया है कि अपीलांट के पूर्वजों द्वारा कभी भी उक्त भूमि पर शव दफनाने हेतु किसी प्रकार का विरोध नहीं किया है तथा वर्तमान में भी मेघवाल समाज के शवों को दफनाने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होने से अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा दिनांक 27–10–2017 बहाल रखा जाता है।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।